

GRAMIN VIKASH AVAM SEVA SHASTHAN

VILL-DHIRANPURI, PO-MATIA, DIST-JAMUI (BIHAR)

- (1) SOCIETY Red -No- 10/96-97/26-04-1996
BIOLOGE
- (2) 12A Red.No- 5486-90/13-02-2003
- (3) 80G Regd-No- 5792-5831/13-02-2003
NGO PAN No - AAATG3510D
- (4) FCRA Regd No- 031130033/25-10-1999
- (5) FCRA Renewal Date - 20-07-2017
- (6) I.T Return- 2016-2017
- (7) I.T Return- 2017-2018
- (8) I.T Return- 2018-2019
- (9) Nity Ayog N.G.O Darpan - BR/2017/0155326
- (10) Form No -H Bihar.Gov - 12.02.2016 -2019
- (11) Auditors Report - 2015 -16 -17
- (12) Auditors Report - 2016 -17 -18
- (13) Auditors Report - 2017 -18 -19
- (14) Annual Report - 2015 -16 -17
- (15) Annual Report - 2016 -17 -18
- (16) Annual Report - 2017 -18 -19
- (17) FCRA Return - 2015-16 -17
- (18) FCRA Return - 2016-17 -18
- (19) FCRA Return - 2017-18 -19
- (20) BANK Name / A/c-No- ICICI, Jamui / 191601000258
- (21) FCRA Account SBI, Jamui / A/c-No- 11212449987
- (22) SBI Khadigram-A/c-No-01100050106
- (23) G-S-T Red -
N.G.O.- E.mail- graminvikashawamsevasansthan@gmail.com
Secretary - E.mail- pawankumardasjamui2018@gmail.com
PAWAN KUMAR DAS Contact No-9931458385
ANIL KUMAR TRESRR- 9955668539, 7488403360



No 2922

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(सेक्ट 21, 1860)

संख्या
10

वर्ष 1996-1997

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि **ग्रामीण विकास ट्रबं हेन्ना**

संस्थान, जामुई

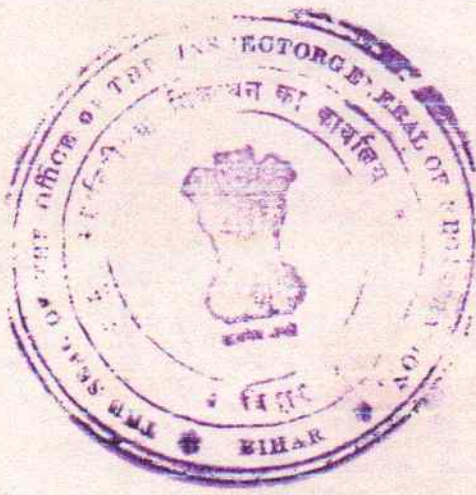
सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख **द्वीत** मास **अश्वि** वर्ष **उन्नीस** सौ **द्वि** वर्ष के पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।



[Signature]
26.4.96

20 Rs

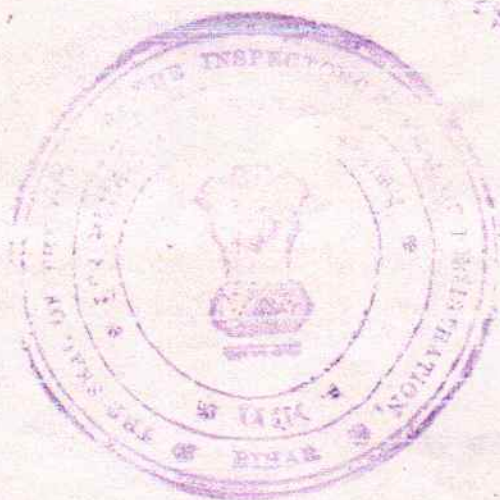


यह दस्तावेज़ अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

[Handwritten signature]

वास्तविक विधानसभा अधिकारी, बिहार

20 Rs.



यह सचची अभिलेखित प्रतिलिपि है।

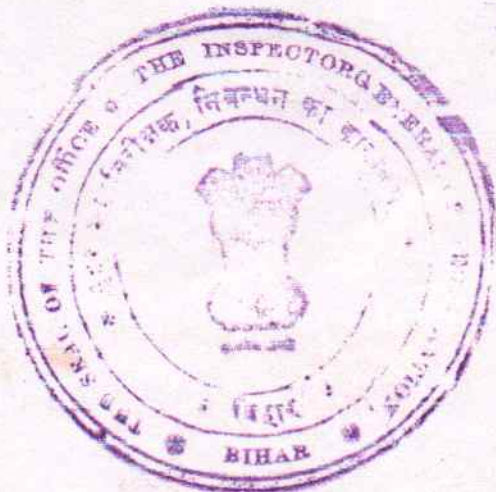
मास्ते. निबंधन १८/निरीक्षक, बिहार

5RS



यह, सच्ची अमिप्रमाणित प्रतिनिधि हैं।

कास्टे. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार



यह सचची अभिलेखित प्रतिनिधि है।

बास्ते. निबंधन महा/निरीक्षक, बिहार

" ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान, जमुई "

का

संशोधित स्मृति-पत्र

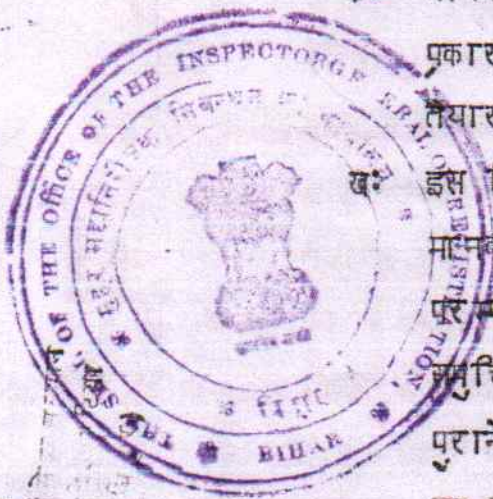
1. इस संस्था का नाम :- "ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान, जमुई" ।
2. कार्यालय :- ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान का निबंधित कार्यालय ग्राम-धीरनपुरी, पो-मटिया, जिला-जमुई, बिहार ।
आवश्यकतानुसार शाखा कार्यालय एवं सम्पर्क कार्यालय भी संस्था खोल सकती है ।
3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य और कार्य :- ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान के उद्देश्य एवं कार्य निम्नांकित होंगे ।

क: जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को रखते हुए कृषि/उद्योग को इस प्रकार विकसित करना जिस कार्यक्रम में स्वतंत्र जीविका का आधार तैयार हो जाय ।

ख: इस स्थिति में लाने के लिए गाँव के बुनियादी प्राकृतिक और मानवीय साधनों का जैसे गाँव की भूमि, जंगल, पानी, पशु, परम्परागत हुनर, श्रम-शक्ति आदि को संरक्षण देना तथा उनके समुचित उपयोग तथा विकास के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करना ।
पुराने आहर, तालाब, कुँए, पैन आदि की मरम्मत, भूमि सुधार, वन रोपण आदि महत्वपूर्ण कार्य होंगे ।

ग: गाँव में खेती, खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, पशुपालन आदि उत्पादन के सभी काम तथा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य यथा संभव परस्पर के आधार पर चलाये जाय ताकि प्रति व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन हो तथा आज जो भूमिहीन तथा साधनहीन है वे कालक्रम से अपने हुनर के बल पर सहभागी/स्वाश्रयी बन जायें ।

घ: इन कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए गाँव-गाँव में संगठन करना युवकों, महिलाओं आदि सभी ग, मवासियों की शक्ति का सदुपयोग करना, सम्भव स्रोतों से कोष इकट्ठा करना, खर्च करना, ऋण और



सत्री

ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान, जमुई

अभिषेक सिन्हा
जमुई
22/4/03

507 कम 2511

दान लेना-देना, गिरवी रखना, केन्द्र कायम करना तथा जो भी अन्य आवश्यक कार्य हो उन्हें करना ग्रामीण विकास एवं सेवा संगठन का कार्य होगा ।

- डः विकलांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु कृत्रिम अंग, शिवा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना ।
- वः पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना ।
- छः महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह आदि की स्थापना और संचालन करना ।
- जः महिलाओं को राजेगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेटिंग, कशीदाकारी आदि का प्रशिक्षण देना ।
- झः शिक्षा बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलंबी बनाने हेतु टंकमाकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण देना ।
- टः जनसंख्या नियंत्रण हेतु लोगों को जागरूक करना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर आदि का आयोजन करना । असाध्य रोग एवं रक्त से बचने के लिए आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना ।
- ठः बाल श्रमिक, महिला श्रमिक, एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना एवं धर्मार्थ के लिए मंदिर, महजिद, एवं घर बनवाना ।
- डः अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, चिकित्सा, शिक्षा की व्यवस्था करना ।
- ढः बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड एवं अन्य आकास्मिक आपदाओं में शिविर लगाकर राहत कार्यक्रम संचालित करना ।
- णः नशाखोरी, औषधि दुरुपयोग, बाल-विवाह, दहेज-प्रथा आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- तः शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । शिक्षण संस्थान की स्थापना और संचालन करना । मेधावी गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना ।
- थः पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय की स्थापना कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना । नृत्य, संगीत, नाटक आदि का प्रशिक्षण देना ।
- दः पैदायती राज, वयस्क मताधिकार, उपभोक्ता अधिनियम, उर्जा संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जागरूक करना ।

पवन कुमार २५/२/२१

प्रभो

ग्रामीण विकास सेवा संगठन
ग्राम मुख्यालय, गौरीगढ़िया
ब्लॉक - गौरीगढ़िया (बिहार)

मिना बिना
२५/२/२१

5. ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान के वर्तमान सदस्य जिन्हें पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है, उनका नाम, पता और धंधा निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम एवं पता	पद	धंधा
1.	श्री गुलाब दास	स्व० बसन्त दास ग्राम-रामपुर, पो०-नाथपुर, जिला-भागलपुर ॥ बिहार ॥	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्रीमती संयोगिता देवी	जौजे-श्री रूपलाल दास ग्राम-गांधी टोला कनवर्षा, पो०-हेवली खडगपुर, जिला-मुंगेर ॥ बिहार ॥	उपाध्यक्ष	खेती
3.	श्री अनिल कुमार दास	श्री सूर्य नारायण दास ग्राम-गांधी टोला कनवर्षा, पो०-हेवली खडगपुर, जिला-मुंगेर ॥ बिहार ॥	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
4.	श्री पवन कुमार दास	श्री योगेन्द्र दास ग्राम-कनगामा, पो०-बादीग्राम, जिला-जमुई ॥ बिहार ॥	मंत्री	समाजसेवा
5.	श्री बिगल दास	स्व० महावीर दास ग्राम-पो०-छोटी केशोपुर, जिला-मुंगेर ॥ बिहार ॥	सदस्य	खेती
6.	श्री बुद्ध दास	स्व० धरम दास ग्राम-धीरपुरी, पो०-मटिया, जिला-जमुई ॥ बिहार ॥	सदस्य	खेती
7.	श्रीमती चमेली देवी	जौजे-श्री मित्तन दास ग्राम-धीरपुरी, पो०-मटिया, जिला-जमुई ॥ बिहार ॥	सदस्य	समाजसेवा
8.	श्री परमानन्द दास	स्व० शारी दास ग्राम-महमदा, पो०-रामपुर जिला-मुंगेर ॥ बिहार ॥	सदस्य	समाजसेवा



अवध प्रमोद दास
ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान
पो०-नाथपुर, जिला-भागलपुर (बिहार)

मिलान मिश्रा
उपस्थित
अध्यक्ष

९ श्रीमती काला देवी जौजे-स्व० सजीया प्रसाद दास
ग्राम- डंगलिस पाटम,
पो०- पाटम,
जिला- मुंगेर ॥ बिहार ॥

सदस्य

समाजसेवा

प्रमाणित किया जाता है कि यह संशोधित स्मृति-पत्र की सच्ची प्रति है।

गुलाब दास
अध्यक्ष

आनंद कुमार दास
कोषाध्यक्ष

पवन कुमार

मंत्री

सचिव

प्राचीन विद्यालय एवं सेवा संस्थान
ग्राम-पो-मुंगेर-१
जिला-मुंगेर (बिहार)

सिद्धांत
विषय
प्रमाणित



यह सचची अतिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

२६.५.२०२०
आ.स. विद्यमान म.दान.संस्थान, बिहार

1- परिभाषा :-

इससेवा का नाम ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान
जमुई होगा ।

2- मुख्यालय -

॥क॥ इसका मुख्यालय ग्राम-धीरनपुरी , पो0-मटिया
जिला -जमुई ॥बिहार॥ होगा । ।

॥ख॥ आवश्यकतानुसार ~~इसका~~ शाखा कार्यालय एवं सम्पर्क
कार्यालय भी संस्था खोल सकती है ।

3- वित्तीय वर्ष :-

इस संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च
होगा ।

4-साधारण सभा का गठन एवं सदस्यता:-

॥क॥ किसी सरकारी नौकरी , राजनीतिक दल, पदाधिकारी
मुखिया , सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद
आदि का सदस्य या विधायक या सांसद आदि हो
तो साधारण सभा का सदस्य नहीं हो सकता है ,
परन्तु आवश्यकतानुसार किसी को भी आमंत्रित किया
जा सकता है ।

॥ख॥ साधारण सभा की सदस्य सूची में कम से कम एक तिहाई
सदस्य महिला वर्ग ~~हो~~ से होंगे ।

॥ग॥ किसी भी सदस्य के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित
रहने अथवा ऐसे आवरण के कारण जिससे संस्था का
अहित हो या उसकी रीति , नीति को आधात
पहुँचता हो तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती
है ।

॥घ॥ सदस्यता पंजी :- प्रत्येक सदस्य जिनको संस्थान की
सदस्यता में प्रवेश मिला है, सदस्य पंजी में नाम, पता
धंधा के साथ दर्ज किया जायगा ।

॥च॥ सदस्य के पता में परिवर्तन :- यदि किसी सदस्य
के पता में परिवर्तन हो तो वह अपना नाम, पता,
मन्त्री को सूचित करेगा जिसे मन्त्री पंजी में दर्ज करेगा ।

पवन कुमार दास
संजी
Secretary

Registration No-10/96-97
Gramin Vikas Avam Seva Sansthan
Vill-Dhiranpuri, Po-Matia
Ps-Barhat, Dist-Jamui (Bihar)
811312

मिलान सिंह
22/11/20

॥छ॥ सदस्यता का कार्यकाल :- सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

॥ज॥ कोई भी सदस्य दूबारा चुना जा सकता है ।

॥5॥ ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान की साधारण सभा की बैठके :-

॥1॥ ॥क॥ साधारण सभा की बैठके सामान्यतः साल भर में चार बार होगी ।

॥ख॥ साधारण सभा की सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे :-

॥1॥ कार्य समिति द्वारा किये गए कार्यों का विचार और स्वीकृति ।

॥2॥ रीति - नीति तथा कार्य पद्धति का निर्णय ।

॥3॥ अंशक की नियुक्ति तथा अंशक हिसाब की स्वीकृति ।

॥4॥ मंत्री के रिपोर्ट / प्रतिवेदन पर विचार ।

॥5॥ अन्य कोई कार्य जिसकी सूचना पहले से दी गई हो ।

॥6॥ अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य ।

॥2॥ बैठक की सूचना :- बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पहले ही दी जानी चाहिए । विशेष स्थिति में तीन दिन की नोटिस से भी बैठक बुलाई जा सकती है ।

॥3॥ निर्णय :-

ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान की बैठकों का निर्णय सामान्यतः उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से होंगे, किन्तु आवश्यक होने पर आम राय से भी किए जा सकेंगे । आम राय का अर्थ होगा कि उपस्थित सदस्यों से कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति हो ।

पव 1 सचिव

Secretary

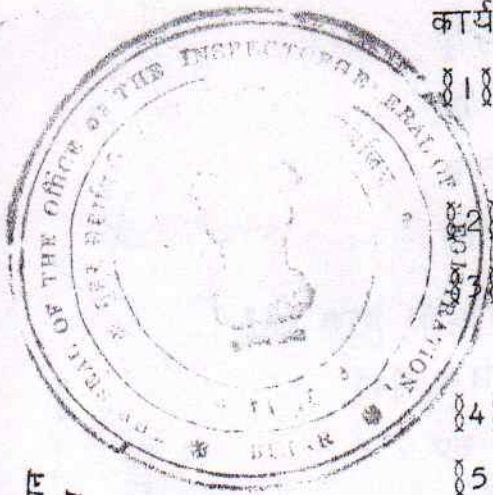
Registration No-10/96-97

Gramin Vikas Avam Seva Sansthan

Vill-Dhiranpuri, Po-Matia

Ps-Barhat, Dist-Jamui (Bihar)-

811312



ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान
ग्राम-धिरानपुरी
पो-मटिया
जिला-जमुई (बिहार)

§4§ साधारण सभा का कोरम:-

कोरम के लिए साधारण सभा के सदस्यों की कम से कम एक तिहाई की उपस्थिति आवश्यक होगी लेकिन स्थगित बैठक में नहीं लागू होगा।

§5§ साधारण सभा के कर्तव्य और अधिकार :-

साधारण सभा का कर्तव्य होगा कि संविधान में बताए गए ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से संस्था का नियम और संचालन को उसे अधिकार होगा कि कार्य सुविधा के लिए आवश्यक रीति-नीति बनाये अध्यक्ष का चयन तथा समिति का गठन।

§6§ कार्य समिति का गठन तथा सदस्याता :-

§क§ साधारण सभा अपने सदस्यों में से पाँच वर्ष के लिए एक कार्य समिति का गठन करेगी, जिसकी संख्या नौ तक हो सकती है। संस्थान के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कार्य समिति का दायित्व होगा।

§ख§ प्रशासन प्रबंधन अधीक्षण संचालन तथा सभी कार्यक्रमों को शुरू करने या बढ़ाने का सारे अधिकार कार्यकारिणी में निहित होंगे। आवश्यकतानुसार कार्यकारिणी समिति अपने अधिकार यदाधिकारियों या उप समितियों को प्रत्यायोजित कर सकती है।

§ग§ कार्यकारिणी समिति को अपनी उपविधि बनाने का अधिकार होगा।

§छ§ बैठके :-

§1§ कार्यकारिणी समिति की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार अध्यक्ष/मंत्री द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर होगी।

§2§ प्रत्येक सदस्य कार्यकारिणी समिति के बैठक की सूचना 10 §दस§ दिन पूर्व पाने का अधिकारी होगा।

पवन कुमार

ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान
ग्राम धिरानपुरी, पो-माफिया
जिला-बहुल (बिहार)

पवन कुमार

Secretary

Registration No-10/96-97

Gramin Vikas Avam Seva Sansthan

Vill-Dhiranpuri, Po-Mafia

Ps-Barhat, Dist-Jamui (Bihar)

891612

॥३॥ यदि किसी कार्यकर्ता के क्रिया कलाप से संतुष्ट नहीं है तो उसे मुक्त करने का अधिकार होगा ।। मुक्तकार्यकर्ता मंत्री के आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। परन्तु अध्यक्ष तथा मंत्री के एक राय नहीं होने पर कार्य समिति का निर्णय अंतिम माना जायगा । परन्तु ऐसी परिस्थिति में कार्य समिति के निर्णय होने तक मंत्री का निर्णय मान्य होगा ।

॥४॥ साधारण सभा का अध्यक्ष कार्य समिति का भी अध्यक्ष होगा । मंत्री , कोषाध्यक्ष का वचन कार्य समिति करेगी ।

॥७॥ कार्य समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

- ॥क॥ अध्यक्ष
- ॥ख॥ उपाध्यक्ष
- ॥ग॥ कोषाध्यक्ष
- ॥घ॥ मंत्री

॥८॥ पदाधिकारियों का कर्तव्य :-

॥१॥ अध्यक्ष :- साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । और संस्थान के सर्वोपरी पदाधिकारी होंगे ।

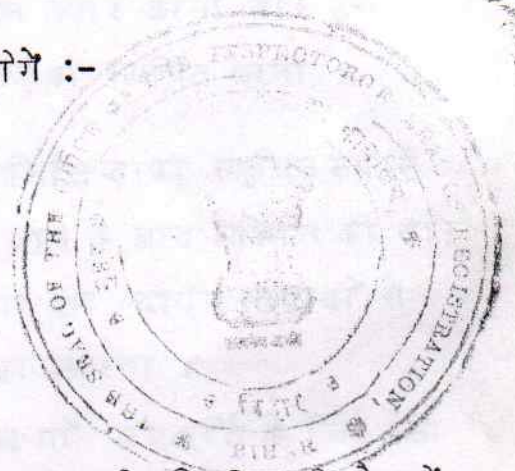
॥२॥ उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभी कार्य करेंगे ।

॥३॥ मंत्री : ॥क॥ मंत्री समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे तथा इस हैसियत से संस्थान के सभी क्रिया कलापों पर नजर रखेंगे ।

॥ख॥ समिति तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही का अधिलेख तथा समिति की सदस्यों की सूची एवं कार्य सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाएं रखेंगे ।

पबल सुगोक दास

Secretary
Registration No-10/96-97
Gramin Vikas Avam Seva Sansthan
Vill-Dhiranpuri, Po-Matia
Ps-Barhat, Dist-Jamui (Bihar)-
811312

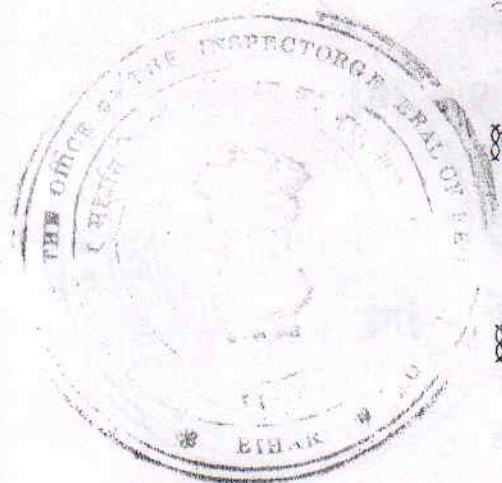


सिमाना सिन्हा
विभागाध्यक्ष

पवन कुमार होरा

सूत्री

ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान
ग्राम-धीरानपुर पो-माटिया
जिला-जमुई (बिहार)



पवन कुमार होरा

Secretary

Registration No-10/96-97
Gramin Vikas Avam Seva Sansthan
Vill-Dhiranpuri, Po-Matia
Ps-Barhat, Dist-Jamui (Bihar)-
811312

मिलान कुमार
जमुई

- ॥ग॥ समितिकी ओर से पत्राचार करना
तथा समिति के अभिलेखों तथा सचिकाओं
को अपने संरक्षण में रखना ।
- ॥ध॥ साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति
की बैठक में समिति के क्रिया कलापों
के विषय में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
- ॥च॥ समिति के आय - व्यय का नियमित लेखा
कराना उनका त्रैमासिक एवं वार्षिक
विवरणी तैयार कराना और कार्यकारिणी
समिति को समर्पित करना ।
- ॥छ॥ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और उसे
साधारण सभा को समर्पित करना ।
- ॥ज॥ कार्यकारिणी समिति द्वारा समुचित रूप से
अधिकृत किये जाने के बाद समिति की ओर
से वित्तीय या ऋण दायी संस्थाओं से
कोष या ऋण प्राप्त करना ।
- ॥झ॥ समिति की लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लेखा
प्रतिवेदन , बुलेटिन, पत्रिकाएँ तथा अन्य
साहित्य प्रकाशित करना ।
- ॥ट॥ समिति की सभी सम्पत्ति , उपकरण, यंत्र मकान
आदि का दायित्व उठाना और उनका
संरक्षण करना ।
- ॥ठ॥ कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार क्रिया-
न्वित करना ।
- ॥ड॥ कार्यकारिणी की सहमति से मंत्री , समिति
के किसी पदाधिकारी को अपने सभी या
कोई अधिकार को कृत्य प्रत्यायोजित कर
सकते हैं ।

॥४॥ कोषाध्यक्ष :-

कार्य समिति के निर्देशानुसार कोष को सुरक्षित रखना और हर वर्ष आडिट किया हुआ हिसाब कार्यसमिति तथा साधारण सभा के सामने प्रस्तुत करना । उनके मुख्य कार्य होंगे । संस्था की सारी सम्पत्ति राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में रखा जायगा ।

॥अ॥ अवेक्षण :- आम सभा में अवेक्षण हेतु अवेक्षा

की नियुक्ति की जायगी । निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहें संस्था का अवेक्षण करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था वहन करेगी ।

॥१॥ नियम - उप नियम :-

॥क॥ संस्था के कार्यों के समुचित संचालन के लिए संविधान तथा नियमावली की अविरोधी कार्य पद्धति या उप नियम बनाने का अधिकार ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान होगा ।

॥ख॥ यदि समय पर रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं की जा सके तो इस कारण से ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान की कोई कार्यवाही अवैध नहीं मानी जायगी ।

॥ग॥ बैंक में छाता खोलने, चेक या ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने अन्य दस्तावेज एवं कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कार्य समिति अपने प्रस्ताव द्वारा कार्य समिति किन्तु ही तीन व्यक्तियों को अधिकार देगी जिसमें मैत्री का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

॥१०॥ संविधान एवं नियमों में संशोधन :-

यदि इस संविधान और नियमों में कोई संशोधन करना हो तो पन्द्रह दिन पूर्व सूचना देकर उसी उद्देश्य से बुलाई गई साधारण सभा की बैठक में उसका 3/5 की बहुमत में स्वीकृत होना आवश्यक है ।

पवन कुमार दास

Secretary

Registration No-10/96-97
Gramin Vikas Avam Seva Sansthan
Vill-Dhiranpuri, Po-Matia
Ps-Barhat, Dist-Jamui (Bihar)
811312

11.8 ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान की विधि :-

संस्थान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निम्न साधनों से निधि प्राप्त करेगी चन्दा, उद्योग, दान, अनुदान, सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैरसरकारी, राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों से सहायता एवं ऋण आदि ।

इस प्रकार जो भी निधि प्राप्त होगी उसका विनियोग संस्था के उद्देश्यों के लिए होगा ।

॥ 12 ॥ ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान की समाप्ति या विध्वन की स्थिति :-

यदि किसी ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि किसी कारण से अपना कार्य समाप्त करना पड़े तो इसी परियोजन से बुलाई गयी साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति या 3/5 की आम राय से ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान के विधान किया जा सकेगा। यदि संस्था के उपर कोई ऋण होगा तो उसकी अदायगी करने के बाद चल / अवल सम्पत्ति आम सभा या कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों के बीच बाँटी नहीं जायगी बल्कि 1860 के सोसायटी रजिष्ट्रेशन एक्ट xx। की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार समान उद्देश्यवाली किसी दूसरी संस्था या सरकार को हस्तांतरित कर दी जायगी।

प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान के नियमों एवं विनियमों की यह सच्ची प्रतिलिपि है।

असिल कुमारी दास
हो/ असिल दास
कोषाध्यक्ष

पवन कुमार दास
ह0/- पवन कुमार दास ह0
मंत्री

११ गुलाब दास
ह० गुलाब दास
अध्यापक

II
12/2002

संशोधित दस्तावेज, संशोधित निगमना
नया आयसका प्रमाण है दिनांक 16-11-01
पन्ना 20-1 दिनांक 16-11-01

यद्यप्यहं नृणां

Secretary
Registration No-10/96-97
Gramin Vikas Avam Seva Samiti
Vill-Dhiranpuri, Po-Matia
Ps-Barhain Dist-Jaunpur (Bihar)-
251124